

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल-23

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना

आवेदन की प्रक्रिया -

- चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी - प्रत्येक जिले में 10 कस्टम हायरिंग केन्द्र (सामान्य के 8 अनुसूचित जाति के 1 एवं अनुसूचित जनजाति के 1) स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः कुल 510 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के 408, अनुसूचित जाति के 51 तथा अनुसूचित जनजाति के 51 के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष (2017-18) हेतु वैध रहेंगे। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंक ड्राफ्ट नीचे बिन्दु क्रमांक 2 में दी गई सूची में उल्लेखित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	-	दिनांक 12 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से
2.	जिलेवार आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक 3 मई 2017 से 6 मई 2017 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक
3.	जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का लॉटरी पद्धति से निर्धारण	-	दिनांक 9 मई 2017 को दोपहर 12.00 बजे से जिलों से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर 12 मई 2017 से देखी जा सकेंगी।)

- जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण -

क्रमांक	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है।	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक
1	भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले।	"कृषि यंत्री, भोपाल"	संभागीय कृषि यंत्री, जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष - 0755-2736200
2	इन्दौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले।	"कृषि यंत्री, इन्दौर"	संभागीय कृषि यंत्री, 303 सेटेलाइट बिल्डिंग, जिला प्रशासनिक संकुल, कलेक्ट्रेट भवन, इन्दौर दूरभाष - 0731-2368440
3	रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले।	"कृषि यंत्री, सतना"	संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, सतना, दूरभाष - 07672-222223
4	जबलपुर संभाग के सभी जिले।	"कृषि यंत्री, जबलपुर"	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर दूरभाष - 0761-2680928

5	सागर संभाग के सभी जिले।	“कार्यपालन यंत्री, सागर”	संभागीय कार्यपालन यंत्री, वृंदावन बाग ट्रस्ट, गोपालगंज, सागर दूरभाष – 07582-241554
6	ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले।	“कृषि यंत्री, ग्वालियर”	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, ग्वालियर, दूरभाष – 0751-2364595

- योजनांतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र दिये जाने का प्रावधान है अतः जिन ग्रामों में पूर्व में केन्द्र स्थापित हो चुके हैं वहां के लिये आवेदन प्रस्तुत न किये जाये। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा।
- अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में 3 मई से 6 मई 2017 तक कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से शाम 5.30 बजे तक किया जायेगा। सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण-पत्र(केवल अनु.जाति एवं ज.जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका, स्नातक अंकसूची सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगे। अभिलेख अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा न कराये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाकर प्राथमिकता सूची के निर्धारण की लाटरी प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में रुचि नहीं लेता है एवं असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। आवेदक को यदि बैंक ऋण स्वीकृत करने में असहमति व्यक्त करता है तो इस स्थिति में भी धरोहर राशि लौटाई नहीं जायेगी।
- जिले हेतु उपयुक्त पाये गये ऑनलाईन आवेदनों की प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण संबंधित संभाग के कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक/दिनांकों को किया जायेगा। सूचियों में प्राथमिकता का निर्धारण लाटरी के आधार पर किया जायेगा। लाटरी निकालने का कार्य सबके समक्ष किया जावेगा अतः यदि कोई आवेदक उस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उक्त दिनांक को कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थित रह सकता है। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता दी जायेगी।
- प्रत्येक जिले हेतु प्राप्त श्रेणीवार (कृषि संकाय स्नातक, सामान्य, अनु.जाति तथा अनु.जनजाति) उपयुक्त आवेदनों से श्रेणीवार प्राथमिकता सूचियाँ तैयार की जायेगी। योजना के प्रावधान अनुसार मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि, उद्यानिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी के स्नातकों को केन्द्र स्थापना हेतु जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधिकतम 3 केन्द्रों तक ही प्राथमिकता दी जायेगी। लाभ हेतु चयनित कृषि संकाय स्नातकों की संख्या अनुसार सामान्य, अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के लक्ष्य कम किये जावेगे।
- संभाग में लाटरी से चयनित आवेदकों को दिनांक 15 मई 2017 को कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधित एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा।
- लाटरी से चयनित आवेदकों को अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने होंगे। जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि

यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरांत आवेदक द्वारा चाहे गये बैंकों को अग्रेषित किये जायेंगे। आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने की तिथि के एक माह के अंदर कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के उपरांत हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण में एक बार चयन होने के उपरांत आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होना होगा अन्यथा आवेदन को निरस्त किया जा सकेगा। महिला आवेदकों को भी प्रशिक्षण में स्वयं उपस्थित होना होगा, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिये पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण उपरांत बैंकों से अंतिम ऋण स्वीकृति (**Final sanction order**) आदेश प्राप्त होने पर बैंक को **“क्रेडिट लिंकड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy)”** के रूप में शासन अनुदान का भुगतान किया जायेगा। अनुदान बैंक को दिये जाने के एक माह की अवधि में केन्द्र की स्थापना आवेदक को अनिवार्य रूप से करनी होगी अन्यथा अनुदान राशि बैंक से वापस प्राप्त कर ली जायेगी।

10. प्रत्येक आवेदन हेतु एम.पी.ऑनलाईन की (पोर्टल फीस रु 200+सर्विस शुल्क 15 प्रतिशत) कुल फीस रु. 230 निर्धारित है।

¹ (क्रेडिट लिंकड बैंक एन्डेड सबसिडी से तात्पर्य यह है कि शासन द्वारा अनुदान बैंक को दिया जायेगा। अनुदान का समायोजन हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जावेगा। इस अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के उपरांत बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में (डिफाल्टर घोषित होने पर) अनुदान राशि उसे नहीं दी जायेगी तथा इस राशि को भी ऋण मानते हुये बैंकों द्वारा पूरी राशि की वसूली हितग्राही से की जायेगी।)

पात्रता एवं शर्तें :-

1. योजनांतर्गत हितग्राही को स्वयं के गांव में कृषि फसलों अथवा उद्यानिकी फसलों हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है। कस्टम हायरिंग केन्द्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि/उद्यानिकी कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें दी जाना होगी।
2. प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों अथवा उद्यानिकी से संबंधित कृषि मशीनों के कय की लागत का सामान्य वर्ग के आवेदकों को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आवेदकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 10 लाख तक का "क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)" अनुदान दिया जायेगा।
3. प्रत्येक जिले में 10 (सामान्य के 8 अनुसूचित जाति के 1 एवं अनुसूचित जनजाति के 1) कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः कुल 510 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के 408, अनुसूचित जाति के 51 तथा अनुसूचित जनजाति के 51 के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे।
4. कस्टम हायरिंग केन्द्र न्यूनतम रु. 10 लाख तथा अधिकतम रु. 25 लाख तक की लागत का स्थापित किया जा सकेगा।
5. बैंक ऋण के आधार पर केन्द्र स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
6. अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक-ऋण की पूर्ण अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा।
7. योजनांतर्गत सभी श्रेणी के, न्यूनतम 18 वर्ष आयु के व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। दिनांक 01 अप्रैल 2017 को आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
8. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
9. पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत अथवा अन्य शासकीय योजना से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
10. योजनांतर्गत कृषि, कृषि अभियांत्रिकी एवं उद्यानिकी स्नातकों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। प्राथमिकता सूची में इन आवेदकों के प्रकरणों पर निर्धारित सीमा जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधिकतम 3 केन्द्रों तक प्राथमिकता दी जाकर विचार किया जायेगा।
11. एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जायेगा। पूर्व के ग्राम जिसमें कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जा चुका है उन ग्रामों में पुनः केन्द्र स्वीकृति नहीं किया जायेगा। पूर्व के केन्द्रों व ग्रामों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
12. एक ही परिवार को एक से अधिक कस्टम हायरिंग केन्द्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
13. जिस ग्राम में केन्द्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का मतदाता होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता पिता के नाम पर भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केन्द्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी।
14. क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।
15. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
16. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नहीं जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी।
17. योजना के तहत कय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के

वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जा सकेगी।

18. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों/यंत्रों के रख-रखाव, शोध निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/हितग्राही को स्वयं करनी होगी।
19. आवेदक द्वारा अपना आवेदन निम्न में से किसी एक तरह के केन्द्र हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा - (1) कृषि फसलों हेतु, अथवा (2) उद्यानिकी फसलों हेतु

कृषि फसलों हेतु निम्न मशीने अनिवार्य होंगी -

क्र.	यंत्र का नाम
1	एक ट्रैक्टर (35 बीएचपी से 55 बीएचपी)
2	एक प्लाऊ
3	एक रोटावेटर
4	एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हेरो
5	एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
6	एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा एक स्ट्रा रीपर
7	एक रेज्ड बेड प्लांटर अथवा राईस ट्रांस प्लांटर

उद्यानिकी फसलों हेतु निम्न मशीने अनिवार्य होंगी -

क्र.	यंत्र का नाम
1	एक ट्रैक्टर (35 बीएचपी से 55 बीएचपी)
2	एक प्लाऊ
3	एक रोटावेटर
4	एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हेरो
5	एक पोटेटो प्लांटर अथवा गार्लिक प्लांटर अथवा ओनियन प्लांटर अथवा वेजीटेबल प्लांटर अथवा अन्य कोई उद्यानिकी फसल का प्लांटर/ट्रांसप्लांटर
6	एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा पोटेटो डिगर अथवा ओनियन हार्वेस्टर अथवा अन्य कोई उद्यानिकी फसल का हार्वेस्टर

सभी यंत्र ट्रैक्टर की हार्स पावर के साथ मेचिंग के होना अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र एवं फसलों के आधार पर अन्य उपयुक्त यंत्रों/मशीनों का चयन भी किया जा सकेगा। संचालनालय में पंजीकृत निर्माताओं के यंत्रों का ही क्रय योजनान्तर्गत किया जा सकेगा। यंत्रों का क्रय पंजीकृत निर्माताओं के अधिकृत विक्रेताओं, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम अथवा मार्कफेड से किया जा सकेगा। पंजीकृत निर्माताओं की सूची कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाइट www.mpdage.org पर उपलब्ध है।

20. कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा केवल कृषि/उद्यानिकी संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किया जा सकेगा।
21. कस्टम हायरिंग केन्द्र अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को सही हालत में आवेदक द्वारा रखा जाना होगा। इसका निरीक्षण समय-समय पर अधिकारियों/विभागीय इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा।
22. कृषकों के खेतों में किये गये कार्यों का विवरण कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा एक पंजी में संधारित करके रखा जाना होगा। इसका निरीक्षण भी समय-समय पर अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चाहे जाने पर केन्द्र को संधारित जानकारीयां उपलब्ध कराना होगी।
